

Report on Public Hearings – Morand-Ganjal Complex Project

Morand-Ganjal Complex Project area covers four districts of the state viz. Hoshangabad, Betul, Harda and Khandwa. In accordance with EIA-Notifications - 2006, four Public hearings, one in each district, were conducted under the auspices of State Pollution Control Board, MP.

Public Hearings at four places in four districts were conducted with due formalities, as narrated in Appendix IV (paragraph 7). Hearings were held in villages Bothi (District: Harda), Morghat (District: Hoshangabad), Jhiriyadoh (District: Betul) and Dagarkhedi (District: Khandwa) respectively.

Date and venue of the each Public Hearing was well publicized and was therefore well attended. Executive Summary of the Project had been circulated in advance and the hard and soft copy of EIA and EMP Reports had already been submitted in the offices of DM, General Manager, District Industries Centre, Pollution Control Board and Panchayat office. Each Public Hearing was chaired by Additional District Magistrate (authorized representative of the Collector and DM of the district) and conducted by the officials of the State Pollution Control Board. The purpose and the objective of the Public hearing were explained to the audience. Benefits and claims to which the affected persons and families (PAP & PAF) are entitled to, was also explained in detail. Impact on environment due to construction of project and mitigating measures planned were told in simple language to the audience. Audience was invited to ask questions and the queries were answered and written objections/observations were also invited.

Entire proceedings of the Public Hearings were video graphed by state Pollution Control Board and Minutes of the Public Hearings (MoM) were issued under the signatures of the respective ADM.

Applications/objections/observations raised by the concerned were replied and clarified during the Public Hearing meetings. The written complaints were examined by the State Pollution Control Board and grouped together, putting the similar applications under one category for the formal reply/clarification. The replies to the queries were given by the Chief Engineer, NVDA, Sanawad vide his letter No 152012/कार्य/मो.ग./2015/133 dated 13-01-2016 to the Pollution Control Board which was submitted to the Ministry by the SPCB and the copy is also appended with this Report. The replies given by NVDA were placed for the perusal of the general public by SPCB in the offices of Collectors of the districts and Gram Panchayat where the Public Hearings were held. Finally the case has been submitted to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, by the State Pollution Control Board.

Broadly speaking the queries received during the Public Hearings are in favor of the project but there are few applications opposing Ganjal dam. Some of the objections against Project have been raised by persons who are not affected by the submergence. The command area farmers are in favor of the Project, and some of the farmers of the submergence desired adequate compensation and benefits for the land and property that would go in submergence. Thus, going by the number of applicants, the construction of Project is overwhelming supported by the stake holders.

Project Brief

Morand-Ganjal Complex Project envisages construction of two dams across rivers Morand and Ganjal, tributaries of Narmada in Hoshangabad and Harda districts of Madhya Pradesh. Reservoirs on Morand and Ganjal will submerge 2200 ha and 833 ha land of which 1438 ha and 833 ha is forest,

respectively. Both reservoir put together, will partially submerge 8 villages including 2 forest villages. The Project will irrigate 52205 ha land in Harda, Hoshangabad and Khandwa districts of the state. Supply of domestic water to all villages (roughly estimated - 211) lying within the command and also the provisions for Industry in the area. There will be other benefits like production of fish, increase in level of ground water aquifers, and employment generation and overall development of the project area.

The EIA and EMP Reports have been prepared after the ToR given by the MoEF&CC. The benefits of compensation proposed to be paid are as per the "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act - 2013."

It is to be noted that the Morand-Ganjal Complex Project is one of the major project included in the Master Plan of Narmada Valley approved by the Narmada Water Dispute Tribunal and the water use for the Project has been included in water allocation to riparian states by the Tribunal. Proposed water use is well within the earmarked quantity of water for the Project. As such there are no riparian issues involved in the implementation of the Mornad-Ganjal Project.

Public Hearing on 3rd November 2015 at village Bothi – Tehsil Timarni/Rehatgaon district-Harda

Public Hearing was presided by Sri Ganesh Shanker Mishra, ADM, district Harda. Sub-Divisional Magistrates and other revenue officials were also present. Meeting was conducted by Sri RR Singh Sengar, Executive Engineer, Regional Office of MP-State Pollution Board, Bhopal. Member of Parliament Ms Jyoti Dhurve and other People's representatives and Officers of NVDA along with Consultants participated in the Public Hearing.

Public Hearing was attended by about 1000 person from many surrounding villages, although many of them chose not to sign on the attendance register.

There were 209 applications received in the Public Hearing from individuals and organizations. Two applications are not concerned with the Project and personal problems are sought to be redressed. 186 applicants have desired that the Project should be implemented early so that the benefits accrue to the area facing drought conditions from three consecutive years. But there are 21 applications opposing the construction of the dam on Ganjal River. However the text of the applications opposing dam on Ganjal is more or less similar and in some cases it is exactly worded similarly. Many of the misgivings were dispelled during the Public Hearing Meeting.

Public Hearing on 5th November 2015 at village – Jhiriyadoh Tehsil Chicholi district-Betul

Meeting was chaired by Sri Pawan Jain, Additional DM, Betul and conducted by Sri RR Singh Sengar, Executive Engineer, Regional Office of MP - State Pollution Board, Bhopal. Revenue Officers, Panchayat Officers and those from NVDA along with Consultants were present in the Public Hearing in village Jhiriyadoh.

Public Hearing was attended by about 600 persons. All the concerns of the stake holders were addressed and satisfactory replies were given.

There were 32 applications received in the Public Hearing. Twelve applications do not pertain to the Project and personal grievances are sought to be redressed. Fifteen applications are in favor of the construction of the Project. Four applicants have opposed the construction of the Ganjal dam. Points raised by villagers who opposed the construction of Ganjal dam were replied and some of their misgivings were dispelled during the Public Hearing Meeting. Only one applicant demanded irrigated land for land under submergence.

Public Hearing on 18th November 2015 at village – Morghat Tehsil Seoni Malwa district-Hoshangabad

Additional District Magistrate, district Hoshangabad, Sri HS Meena presided the Public Hearing. Representatives from Janpad and Panchayats, Revenue Officers of the district, Officers of NVDA along with Consultants were present during the Public Hearing in Morghat village.

It was a large gathering of about 1000 persons attended the Public Hearing. The queries of the stake holders present in the Public Hearing were replied and clarifications given. There were 24 application received. None of the applicant opposed the construction of dam across Morand River. However, there are many demands placed for consideration, action on some of them has already been initiated. Only two applicants have demanded land for land and one application does not pertain to the Project.

Public Hearing on 27th November 2015 at village – Daggarkhedi Tehsil Hasud district-Khandwa

Additional District Magistrate, district Khandwa, Sri SS Baghel, was authorized by Collector, Khandwa to preside over the Public Hearing held in Daggarkhedi village. Sri KP Soni, Executive Engineer, Regional Office, MP State Pollution Control Board, Indore, conducted the Public Hearing. People's representative who attended the PH included the Member Legislative Assembly. Officers of Revenue, Panchayats and NVDA along with Consultants also participated in the Public Hearing.

Public Hearing was attended by a very large number of stake holders. District Khandwa will receive the benefit of irrigation from the Morand-Ganjal Complex Project and there was unanimous demand for early approval and implementation of the Project.

In the Public Hearing as many as 182 applications were tendered by the villagers and each one of the application was in favor of the Project. It was expressed during the Public Hearing that Harsud town and Harsud Tehsil of Khandwa district has been worst affected by the submergence of Indira Sagar Project and the irrigation from Morand-Ganjal Project will recompense, albeit in a small measure, the area.

Conclusion

All the four Public Hearings were well attended and villagers were excited and eager for early implementation of Morand-Ganjal Complex project. A large part of the audience comprised of women.

There was no queries regarding Environment or Ecology and everybody seemed to be interested in the compensations for property and the R & R benefits that will accrue to the affected persons/families. Generally the provisions of Act – 2013 were agreeable and in four Public Hearings only three applicants demanded land for land.

Very detailed account was given during the Public Hearings regarding the benefits to which the affected persons/families will be entitled to according to the Act – 2013, impact of construction of project and measures adopted to mitigate or avoid the harmful impacts on environment and ecology. There were many misgivings and doubts that were put to rest through the replies and explanations given in the meetings.

There were, in all, 447 applications received and 381 of them were in favor of implementation of the Project. Only 47 applicants (about 10%) opposed the construction of dams and similar objections have been raised and same issues have been put forth. Sixteen applications did not pertain to the Project and 381 were in favor of construction of Morand-Ganjal Complex Project.



GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

NARMADA VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY

CHIEF ENGINEER

Indira Sagar Project (Canals) Sanawad District

West Nimar, Madhya Pradesh

***PUBLIC HEARING PROCEEDINGS OF
MORAND AND GANJAL COMPLEX PROJECT***



VOLUME – I

JULY 2016



MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, BHOPAL- 462 016

{0755} 2464428, 2466191 Fax : {0755} 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

No. 539 /TS/MPPCB/2016
To,

Date: 03-2-2016

**The Secretary,
Govt. of India,
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
3rd Floor, Indira Paryawaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj,
NEW DELHI - 110 003.**

Sub: Proceedings of public hearing conducted as per provisions under EIA Notification S.O. 1533 dated: 14/09/06 **for the proposed Morand-Ganjil Irrigation Project of M/s. Narmada Valley Development Authority in Betul, Hoshangabad, Harda & Khandwa district.**

Ref : TOR issued by MoEF, GoI vide letter No. J-12011/43/2011-IA-I, dated: 17/10/12.

The M. P. Pollution Control Board has conducted public hearing on 03/11/15 at village: Bothi, Tehsil: Rahatgaon for Harda district, on 05/11/15 at village: Jhiriadoh, Tehsil: Chicholi for Betul district, on 18/11/15 at village: Morghat, Tehsil: Seoni Malwa for Hoshangabad district and on 27/11/15 at Panchayat Building, village: Daggarkhedi, Tehsil: Harsud for Khandwa district (M.P.) as per the provisions of EIA Notification S.O. 1533 dated: 14/09/06 **for the proposed Morand-Ganjil Irrigation Project in Betul, Hoshangabad, Harda & Khandwa districts of M.P.**

The hard and soft copy of the proceedings of public hearing along with objections and suggestions are enclosed herewith in original for necessary action.

Encls : As above

Endt No. 540 /TS/MPPCB/2016

Copy to:-

- 1 Dy. Secretary, Urban Development & Environment Department, Govt. of M.P., Mantralaya, Bhopal for information.
- 2 **Shri U. C. Jain, Chief Engineer, Indira Sagar Project (Canal) Sanawad, distl Khargone - 451 111 (M.P.)** Please find enclosed herewith a copy of information alongwith the copy of public hearing documents for further submission to MoEF for Environmental Clearance as per Notification S.O. 1533 dated: 14/09/06.
- 3 I.T. Section, M. P. Pollution Control Board, Bhopal along with the copy of Public Hearing document for display on website soft copy of document is enclosed.

(A.A. Mishra)

Member Secretary

dated: 03-02-2016

(A.A. Mishra)

Member Secretary

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

PH- Betul
original copy.

Phone -0755-2466392, Fax- 0755- 4278342 E-Mail- romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 1139 /क्षेका/प्रनिबो/2016
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/2/2016

सदस्य सचिव,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल ।

विषय:- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में (जिला- बैतूल हेतु) दिनांक 05/11/2015 को आयोजित लोक सुनवाई से संबंधित दस्तावेज अग्रिम करके बावत् ।


संदर्भ:-
1. मुख्यालय का पत्र क्रमांक 1804 दिनांक 29/03/2014 ।
2. TOR issued by GOI, MoEF, New Delhi vide letter no. F.No. J-12011/43/2011-IA. I dated 17.10.2012
3. परियोजना द्वारा लोक सुनवाई हेतु दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण दिनांक 07.09.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत तहत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 में उल्लेखित प्रावधानानुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना की (जिला- बैतूल हेतु) पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 05 नवम्बर 2015 को सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई से संबंधित निम्न दस्तावेजों की मूल प्रतियों का एक सेट एवं छायाप्रतियों का एक सेट संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई आयोजित किये जाने बावत् मुख्यालय का पत्र क्रमांक 1804 दिनांक 29-03-2014 की प्रति ।
2. परियोजना द्वारा लोक सुनवाई हेतु दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण पत्र क्र. 2510 दिनांक 07.09.2015
3. लोक सुनवाई आयोजित किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी को प्रेषित पत्र क्रमांक 4343 दिनांक 08-09-2015 की प्रति ।
4. कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी, बैतूल से प्राप्त पत्र पृ.क्रमांक 8150 दिनांक 14/15-09-2015 की प्रति ।
5. मध्य प्रदेश माध्यम को दैनिक समाचार पत्रों में आम सूचना के प्रकाशन के संबंध में प्रेषित किये पत्र क्रमांक 4654 दिनांक 24-09-2015 एवं ई-मेल दिनांक 24.09.2015 की प्रतियां ।
6. दिनांक 25-09-2015 को दैनिक भास्कर एवं दैनिक जागरण समाचार पत्रों में प्रकाशित लोक सुनवाई की आम सूचना की पेपर कटिंग की प्रति ।
7. संबंधित विभागों/कार्यालयों में आम जनता के अवलोकनार्थ रखे गये कार्यपालक सार तथा ई. आई. ए. रिपोर्ट के सम्प्रेषण संबंधी पत्र क्रमांक 4704 दिनांक 28/09/2015 एवं पावती की प्रति ।
8. लोक सुनवाई आयोजन के पूर्व दिनांक 04.11.2015 को करवाई गई मुनादी की पावती की प्रति ।

9. लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण (मिनिट्स) की प्रति ।
10. लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों, परियोजना प्रबंधक प्रतिनिधियों एवं जनसामान्य के उपस्थित पत्रक की प्रतियां ।
11. लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त 32 नग आपत्ति पत्रक की प्रति ।
12. परियोजना प्रबंधन को आपत्ति निराकरण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख पत्र क्रमांक 5863 दिनांक 08.12.2015 की प्रति ।
13. परियोजना प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निराकरण प्रतिवेदन के पत्र क्र. 152012 दिनांक 13.01.2016 एवं पत्र क्र. 303 दिनांक 27.01.2016 की प्रतियां ।
14. लोक सुनवाई संबंधी छायाचित्र ।
15. लोक सुनवाई की कार्यवाही संबंधी वीडियोग्राफी की सीडी ।
16. लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण संबंधित विभागों में जनसामान्य के अवलोकनार्थ रखने हेतु प्रेषित पत्र क्रमांक 717 दिनांक 18-01-2016 एवं पावती की प्रति ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।
(मूल प्रति + छायाप्रति)


(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी



MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, BHOPAL- 462 016

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

No. 1804 /TS/MPPCB/2014
To,

Regional Officer,
M. P. Pollution Control Board
INDORE/BHOPAL (M.P.)



Date: 29-3-14

Sub : Order to conduct public hearing under EIA Notification No. 1533 dated: 14/09/06 for the proposed **Morand-Ganjali Irrigation project of M/s Narmada Valley Development Authority in Hoshangabad District of M.P.**


- Ref : 1. TOR issued by GoI, MoEF New Delhi vide letter F.No. J-12011/43/2011-IA.I dated: 17/10/12.
2. Project authority letter No. W/15012/Part-V/2014/06, Sanawad dated: 03/02/14.

M/s. Narmada Valley Development Authority submitted an application under reference for public hearing as per the provisions of EIA Notification No. 1533 dated: 14/09/06 with draft EIA report for Public Consultation in respect of Environmental Clearance **for the proposed Morand-Ganjali Irrigation Project in Hoshangabad, Harda & Khandwa districts of M.P.**

A copy of letter of request is enclosed herewith for further necessary action. Copies of the draft EIA Report (hard & soft) and summary of the draft EIA report in English & Hindi (hard & soft) shall be submitted by the project proponent directly to your office.

Now, you are hereby directed to finalize the date, time and exact venue for the public hearing as per the provisions of the notification, in consultation with the district Collector after receiving the administrative expenses. The same shall be advertised in one major National Daily and one regional vernacular daily. A minimum notice period of 30 (thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses. The information for the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment Report and the summary of Environmental Impact Assessment report before the public hearing shall also be mentioned in the advertisement. You are directed to follow the procedure as per the provisions given in of EIA notification dated: 14/09/06 and to ensure the compliance of the orders issued by MoEF from time to time in this regards.

Encls: As above


(R. K. Shrivastava)
Superintending Engineer

PH - Betul
Photocopy set.

AS (S)
4/4



MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, BHOPAL- 462 016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

Endt. No. /TS/MPPCB/2014

dated:

Copy to :

1. **Shri U.C. Jain, Chief Engineer, M/s. Indira Sagar Project (Canal), Sanawad dist. Khargone - 451 111 (M.P.)** for information. You are requested to contact the Regional Officer, M. P. Pollution Control Board, Indore/Bhopal and deposit the administrative charges Rs. 1,50,000/- (Rs. 50,000/- for each district)(as per the notification of Govt. of M.P. dated: 07/10/09) along with sufficient hard and soft copies of documents for conduction of public hearing. It is also requested to forward one hard and one soft copy of the above draft EIA report along with the summary EIA report to the MoEF and to the following authorities or offices within whose jurisdiction the project is being located :
 - a) District Magistrate/s
 - b) Zila Parishad or Municipal Corporation
 - c) District Industries Centre
 - d) Regional Office of the Ministry of Environment & Forests, Bhopal.
2. In-charge, IT Section, M. P. Pollution Control Board, Bhopal. One soft copy of the executive summary in English & Hindi is enclosed for uploading the same on the official web site of the Board for display, as per the provisions of the notification.

Encl: As above.


(R. K. Shrivastava)
Superintending Engineer

**Office of the Executive Engineer
Narmada Valley Development Authority
Narmada Development Division No.23, 59-Arera Hills,
Narmada Bhawan, Bhopal (M.P)-**

Ph: 0755-2761257

E-mail: eenvda23@mp.gov.in, eenvda23@gmail.com

Lett. No. 2570 T.S/ EE-23/2015-16

Bhopal, Dated: 27/9/15

To,

✓ The Regional Officer,
Madhya Pradesh Pollution Control Board
Bhopal-462016

Subject: Submission of EIA/EMP reports & its Executive summary to conduct public hearing for Morand & Ganjal Complex Irrigation project- regarding

Ref: 1) S.E M.P P.C.B Letter No.1804/TS/MPPCB/2014 Dated: 29-3-2014

2) Our office Letter No.2033/TS/EE-23/2015-16 Bhopal Dated: 22-7-2015

Sir,

With reference to the above subject and above cited letter Ref. No.1 the public hearing in the proposed Morand & Ganjal Complex Irrigation project affected/benefitted areas is to be conducted.


The administrative charges of Rs. 150000/- in the form Demand Draft (D.D No. 686174) drawn in favor of Regional Officer, M.P Pollution Control Board, Bhopal to conduct the public hearing at the following districts Hoshangabad, Harda & Betul was submitted to your office vide our above cited letter under Ref. No.2.

Herewith submitting the Hard & soft copies of EIA/EMP reports along with its Executive summary. The details of the submissions are as follows.

- 1) EIA/EMP Report in Volume-I & II each in ¹²4 sets
- 2) Executive Summary of EIA/EMP report in English & Hindi each in ¹²8 sets
- 3) Soft copies of EIA/EMP report & its Executive summary in ¹²4 sets

As per the approved ToR by MoEF & CC-Gol for carrying out the EIA/EMP study, the ToR validity extended period is up to 17-10-2015 only. It is requested to initiate the process for conducting public hearing in above mentioned Districts at the earliest, so that the submission to ministry is done timely.

Encls: As stated above.



Executive Engineer

Narmada Development Division No.23,
59-Arera Hills, Narmada Bhawan, Bhopal (M.P)

Copy to: . T.S/ EE-23/2015-16

Bhopal, Dated:

- 1) The Chief Engineer, Indira Sagar Project (Canals), Sanawad, Distt: Khargone for kind information
- 2) The Superintending Engineer, N.D. Circle No.8, Sanawad, Distt: Khargone for kind information
- 3) The Superintending Engineer, M.P Pollution Control board Paryawaran Parisar, E-5 Arera Colony, Bhopal-462016


Executive Engineer

Narmada Development Division No.23,
59-Arera Hills, Narmada Bhawan, Bhopal (M.P)

क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल
कमांक 4343 /क्षेका/प्रनिबो/2015 भोपाल, दिनांक 8/9/2015
प्रति,

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-बैतूल (म0प्र0)

- विषय:- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के जिला-बैतूल में प्रस्तावित Morand-Ganjal Irrigation project की लोक सुनवाई के संबंध में।
- संदर्भ:- 1. TOR issued by GOI, MoEF, New Delhi vide letter F.No. J-12011/43/2011-IA.I dated: 17/10/2012.
2. मुख्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का पत्र कमांक 1804 दिनांक 29-03-2014 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के जिला-बैतूल में प्रस्तावित Morand-Ganjal Irrigation project की लोक सुनवाई प्रक्रिया बोर्ड द्वारा संपादित की जाना है । यहां उल्लेखनीय है कि लोक सुनवाई की प्रक्रिया कराये जाने हेतु लोक सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक से 30 दिवस अर्थात एक माह पूर्व दो दैनिक समाचार पत्रों में लोक सुनवाई सम्पन्न करने हेतु सूचना का प्रकाशन कराया जाना अधिसूचना के प्रावधानानुसार अनिवार्य है । तदनुसार सम्पूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही 45 दिवस में पूर्ण की जाना है। अतः आपकी सहमति स्थान, दिनांक व समय निर्धारित करने हेतु ई. आई.ए. अधिसूचना 14/09/06 (लोक सुनवाई प्रक्रिया) की प्रति संलग्न कर विनम्र निवेदन है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

पृ0क0 4344 /क्षेका/प्रनिबो/2015
प्रतिलिपि

क्षेत्रीय अधिकारी
भोपाल, दिनांक 8/9/2015

1. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. श्री यू.सी.जैन, मुख्य अभियंता, मे0 इंदिया सागर प्रोजेक्ट (केनाल) सन्नावद, जिला-खरगोन-451 111 की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

क्षेत्रीय अधिकारी

कायालय कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी जिला बैतूल (म.प्र.)

आदेश क्र. 8150

बैतूल दिनांक 14/09/2015

15

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल



विषय:- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के जिला-बैतूल में प्रस्तावित Morand-Ganjaj Irrigation project की लोक सुनवाई के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 4343/क्षेका/प्रनिबो/2015 भोपाल, दिनांक 08/09/2015

उपरोक्त विषयांतर्गत नर्मदा विकास प्राधिकरण के जिला-बैतूल में प्रस्तावित Morand-Ganjaj Irrigation project में जिला बैतूल के प्रभावित ग्राम झिरियाढोह एवं जामनगरी की लोक सुनवाई प्रक्रिया हेतु दिनांक 05/11/2015 को सुबह 11:00 बजे से ग्राम झिरियाढोह तह. चिचोली जिला बैतूल में लोक सुनवाई आयोजित होगी।

उपरोक्त प्रस्तावित समय एवं दिनांक हेतु प्रस्तावित ग्राम में लोक सुनवाई हेतु आवश्यक व्यवस्था करना सुनाश्चत कर।

EE

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला-बैतूल (म.प्र.)

पृ 0 8150

प्रतिलिपि-

18/8

बैतूल दिनांक 14/09/2015
15

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
2. श्री यू.सी. जैन, मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट (नहर) सनावद, जिला-खरगोन।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल।
4. अनुविभागीय अधिकारी(रा.) तह. झिरियाढोह। बैतूल
5. कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग 23 भोपाल।
6. तहसीलदार तह. चिचोली।
7. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत झिरियाढोह।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला-बैतूल (म.प्र.)

क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

Phone -0755-2466392, Fax- 0755- 4278342 E-Mail- romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक / 4654 / क्षे.का. / प्रनिबो / 2015
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/9/2015

प्रबंधक,
मध्य प्रदेश माध्यम,
40 प्रशासनिक जोन, अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- दैनिक समाचार पत्रों में लोक सुनवाई की आम सूचना के प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सुनवाई की आम सूचना (जिला बैतूल) का प्रकाशन दिनांक 25/09/2015 के दैनिक भास्कर एवं टाइम्स आफ इंडिया समाचार पत्रों के जिला-बैतूल संस्करण में करवाने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रेषित करें।

संलग्न:- आम सूचना की प्रति।

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ.कं. / 4654 / क्षे.का. / प्रनिबो / 2015
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24/9/2015

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला-बैतूल की ओर पत्र क्र. 8150 दिनांक 14/15.09.2015 के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री ब्रजेश शर्मा, कार्यपालन यंत्री, आई.टी. सेक्शन, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उक्त लोक सुनवाई की आम सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

लोक सुनवाई के संबंध में आम सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं यथासंशोधित 01.12.2009 के तहत सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मोरण्ड – गंजाल सिंचाई परियोजना द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जिला बैतूल में आने वाले परियोजना के भाग के लिए लोक सुनवाई हेतु आवेदन किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार (साफ्ट कॉपी सहित) का अवलोकन कार्यालय कलेक्टर, जिला-बैतूल, जिला पंचायत-बैतूल, जनपद पंचायत-चिचौली, जिला-बैतूल, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल, ग्राम पंचायत – झिरियाडोह, जिला बैतूल, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड क्रमांक-3, राजयोग भवन के पास, ई-5, अरेरा कालोनी भोपाल, कार्यालय, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी भोपाल में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। उक्त परियोजना के कार्यपालक सार की जानकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेबसाइट www.mppcb.nic.in पर भी उपलब्ध है जिस किसी व्यक्ति को उक्त के पर्यावरणीय विषय के संबंध में कोई सुझाव विचार, टीका टिप्पणी अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना हो वह इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों (Concerned Regulatory Authority)/क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल, के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 05.11.2015 दिन गुरुवार को प्रातः 11:00 बजे से ग्राम झिरियाडोह तहसील चिचौली जिला बैतूल में आयोजित की गई है, जिसमें भी सुझाव विचार, टीका टिप्पणी अथवा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल



Mailbox of romppcb_bpl

Subject: Regarding publication

From: ro mppcb bpl<romppcb_bpl@rediffmail.com> on Thu, 24 Sep 2015 16:27:10

To: "mpmadvt@gmail.com"<mpmadvt@gmail.com>

To

Shri S.K. Agarwal,
Manager, Advts.
M.P. Madhyam, Bhopal


Sub: Regarding publication of Aam Suchana

Ref: This office letter No. 4654 dated: 24.09.2015

As per discussion with you, you have intimate that Times of India is not registered with M.P. Madhyam, so please publish the aam suchana sent to vide letter under reference in Dainik Jagaran dail news paper in place of times of India.

With regards

Regional Officer,
M.P. Pollution Control Board, Bhopal
Mcb. No. 9827234137

 Get your own **FREE** website, **FREE** domain & **FREE** mobile app with Company email. **Know More >**

दिनांक 25-09-2015

दिन 25/09/15

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 मुख्य कार्यालय, पर्यावरण परिसर, ई-5, अररा कॉलोनी, भोपाल
 Phone: 0755-2466392, Fax: 0755-4378043

राज्य स्तरीय पर्यावरण में क्षति सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अनुसूचित विभाग) दिनांक 14.09.2015 एवं 05.11.2015 के तहत निर्देशनामों को सुचित किया जाता है कि पर्यावरण क्षति विकास प्रतिक्रिया द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों को सुचित किया जाये कि पर्यावरण क्षति विकास प्रतिक्रिया द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में निर्देश पत्रों में उक्त उक्त परियोजना के भाग के लिए लोक सुनवाई हेतु आवेदन किया गया है। उक्त परियोजना में संशोधन ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यालयिक सार (साफ्ट कॉपी सहित) को अवलोकन कार्यालय कलकत्ता, विभाग - वैदिक, जिला मध्याह्न, जिला, जनपद मध्याह्न - निर्वाही, जिला - बैतूल, महामण्डल जिला व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र, बैतूल, राज्य मध्याह्न - त्रिगुणाहो, जिला बैतूल, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन विभाग, क्षेत्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अनुसूचित विभाग) ई-5, अररा कॉलोनी भोपाल, कार्यालय परिसर, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अररा कॉलोनी भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अररा कॉलोनी भोपाल में कार्यवाही के समय में दिया जा सकता है। उक्त परियोजना के कार्यालयिक सार की जानकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेबसाइट www.mppcb.org.in पर भी उपलब्ध है जिस जिला स्तर पर उक्त के पर्यावरणीय विभाग के समक्ष में कोई सुझाव किया जाये कि निर्देशों को सुचित प्रस्तुत करना से दूर हुए सुझाव के जारी होने के दिनांक 05.11.2015 के अंतर, संबंधित विनियमक प्रतिक्रिया (Consulted Regulatory Authority)/क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर, ई-5, अररा कॉलोनी भोपाल के कार्यालय में कार्यवाही के समय में प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई तिथि 05.11.2015 दिनांक सुनवाई के दिनांक 11.00 बजे में आम निर्देशनामों, तत्पश्चात् निर्वाही, जिला बैतूल में आयोजित की गई है जिसमें भी सुझाव, विचार, टीका निर्देशों संबंधित सुझाव उपस्थित करने के लिए जा सकती है।

म.प्र. माध्यम/77876/2015 क्षेत्रीय अधिकारी

CHIEF GENERAL MANAGER



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
 Phone - 0755-2466391, Fax - 0755-4278342

लोक सुनवाई के संबंध में आम सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं यथासंशोधित 01.12.2009 के तहत सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मोरण्ड - गोजाल सिंचाई परियोजना द्वारा पर्यावरण स्विकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जिला बैतुल में आने वाले परियोजना के भाग के लिए लोक सुनवाई हेतु आवेदन किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार (संपद कॉपी सहित) का अवलोकन कार्यालय कलेक्टर, जिला - बैतुल, जिला पंचायत - बैतुल, जनपद पंचायत - चिचौली, जिला - बैतुल, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतुल, ग्राम पंचायत - झिरियाडोह, जिला बैतुल, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ब्लॉक रोड क्रमांक-3, राजयोग भवन के पास, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल, कार्यालय, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल से कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। उक्त परियोजना के कार्यपालक सार की जानकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेबसाइट www.mppcb.nic.in पर भी उपलब्ध है जिस किसी व्यक्ति को उक्त के पर्यावरणीय विषय के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना हो वह इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों (concerned Regulatory Authority)/क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 05.11.2015 दिन गुरुवार को प्रातः 11.00 बजे से ग्राम झिरियाडोह, तहसील चिचौली, जिला बैतुल में आयोजित की गई है, जिसमें भी सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी अथवा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

म.प्र. माध्यम/77876/2015 क्षेत्रीय अधिकारी

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

लाभदा (आधिकारी) : स्टाफ ऑफिसर (एमएम)
 विभाग : भोपाल - 412041

निविदा क्र. : एनएच3250-एनएम-एमजी-11
 1-प्राइम बीड के साथ 1-निविदा : बी
 निविदा मूल्य : ₹ 7.15 लाख। निविदा प्रस्तुत करने का समय 100 बजे तक। निविदा खुलने हेतु
 निविदा प्राधिकारी : स्टाफ ऑफिसर (एमएम) भोपाल - 412041

निविदा क्र. : एनएच3250-एनएम-एमजी-11
 निविदा : एकेजी विल हेतु एनएम का प्रकल्प
 संबंधित निविदा प्रस्तुत करने हेतु दिनांक : 17
 निविदा खुलने हेतु दिनांक : 18.10.2015 के
 स्टाफ ऑफिसर (एमएम), वेबसाइट, भोपाल बोर्ड

एनएम विभाग की निविदा प्रस्तुत करने हेतु एनएम का
 वेबसाइट है।

निविदा क्र. : (1) एनएच3403-बोरिंग-1
 बोरिंग - बैतुल - इटीएम - 12-2015
 इटीएम - 13-2015-18 : कार्य का विवरण
 एनएम विभाग की वेबसाइट पर। (2) (1) मोट
 वारा हेतु एक न. अनुबंध किया है। माहि
 यक कार्य का 1. न. एक किए से चाहे
 828.112/- (2) (1) ₹ 8.81,180/- (1)
 (1) ₹ 17,12,180/- 1 निविदा जमा करने
 का (2) एवं (3) 12-10-2015 के 16:00 बजे
 2015 के 4:00 बजे (2) एवं (3) 18-10-2015
 अधिकारी (एमएम), वेबसाइट, कच्छाण क्षेत्र, भोपाल

निविदा क्र. : (1) एनएच3403-बोरिंग-1
 1-20/2015-18 : कार्य का विवरण :
 बोरिंग में स्टिल बकर्स के स्थापना हेतु ए
 कच्छाण क्षेत्र मोहन कोठरी के गालोरी गुजी के
 विभाग। कार्य का अनुमानित मूल्य ₹ 15,14,507.82। निविदा जमा करने हेतु दिनांक
 20 बजे से 17:00 बजे तक। निविदा खुलने
 निविदा प्राधिकारी : स्टाफ ऑफिसर (नारा)
 जिला : जिला कार्यालय - 480883।

निविदा क्र. : (1) पीई3350-एनएम
 एनएमएन-इ0049-2015-18 : कार्य
 1-निविदा : (1) पंच क्षेत्र के महापौरा प्रविण
 क्षेत्र के महापौरा प्रविणत खदान में संपर्क
 अनुमानित मूल्य : (1) ₹ 11,21,646.52/-
 दिनांक : बोनी हेतु 08.10.2015 के 16:00
 हेतु 08.10.2015 के सुबह 11:30 बजे एवं
 महाप्रबंधक (अधीनस्थ), वेबसाइट, पंच क्षेत्र, पंच
 विभाग, भोपाल का विवरण वेबसाइट पर है
 http://tenders.gov.in व http://

**क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल**

क्रमांक / ५७०५/क्षे.का./प्रनिबो/2015
प्रति,

भोपाल, दिनांक २४/१/२०१५

1. कलेक्टर महोदय, कलेक्टर कार्यालय, जिला-- बैतूल ।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड कं. राजयोग भवन के पास, ई- 5 अरेरा कालोनी, भोपाल ।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चिचौली, जिला-बैतूल ।
6. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बैतूल ।
7. सचिव, ग्राम पंचायत झिरियाडोह, तहसील-चिचौली, जिला- बैतूल ।

विषय:- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मोरण्ड - गंजाल सिंचाई परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिए जिला बैतूल से संबंधित लोक सुनवाई के संबंध में जन अवलोकनार्थ दस्तावेज रखने बावत् ।

- संदर्भ:-**
1. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परियोजना को पर्यावरण स्वीकृतिप्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जारी टी.ओ.आर. पत्र क्र. F.No. J- 12011/43/2011-IA.I dated: 17/10/2013.
 2. मुख्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक 1804 दिनांक 29-03-2014 ।
 3. परियोजना द्वारा दस्तावेज प्रस्तुतीकरण का पत्र क्र. 5210 दिनांक 07.09.2015

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.06 में आने वाले उद्योगों/इकाईयों/परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है । उक्त तारतम्य में लोक सुनवाई कर जनसामान्य की आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित किये जाने का प्रावधान रखा गया है ।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मोरण्ड - गंजाल सिंचाई परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिए जिला बैतूल से संबंधित लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 05 नवम्बर 2015, दिन गुरुवार को प्रातः 11.00 बजे से ग्राम झिरियाडोह तहसील चिचौली जिला बैतूल में किया जाना नियत है ।

अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार इकाई की ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार (साफ्ट कॉपी सहित) आपकी ओर प्रेषित करते हुए निवेदन है कि कृपया उक्त दस्तावेजों को जन सामान्य के अवलोकन कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें । यदि आपके कार्यालय में जन सामान्य की ओर से प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में कोई सुझाव, आपत्ति, टीका-टिप्पणी/विचार इत्यादि प्राप्त हो, तो कृपया इस कार्यालय को लोक सुनवाई दिनांक 05 नवम्बर 2015 के पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें।







संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।


क्षेत्रीय अधिकारी

RM

पावती

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मोरण्ड - गंजाल सिंचाई परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिए जिला बैतूल से संबंधित लोक सुनवाई के संबंध में जन अवलोकनार्थ दस्तावेज रखने बावत् क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक 4704 दिनांक 28-09-2015 प्राप्त किया गया

| क्र. | कार्यालय का नाम | पावती |
|------|---|---|
| 1 | कलेक्टर महोदय, कलेक्टर कार्यालय, बैतूल |  |
| 2 | क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड कं. 3, राजयोग भवन के पास, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल । | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्र) / Regional Office (Western Zone) 'केन्द्रीय पर्यावरण भवन', 'Kendriya Parvavaran Bhawan' |
| 3 | सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल। |  |
| 4 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल |  |
| 5 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चिचौली, जिला-बैतूल । |  |
| 6 | महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बैतूल |  |
| 7 | सचिव ग्राम पंचायत झिरियाडोह तहसील चिचौली, जिला बैतूल |  |

रमेश अशुके सरपंच झिरियाडोह




9406524392


जगदीश ठाकुर सचिव

9425666868


मुनादी संबंधी पावती


नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना की लोक सुनवाई दिनांक 05.11.2015 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम झिरियाडोह जिला बैतूल में होने की सूचना की मुनादी क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल द्वारा दिनांक 04.11.2015 को की गई।

| क्र० | व्यक्ति का नाम/पद | ग्राम का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | हस्ताक्षर/टेलीफोन नम्बर |
|------|-------------------|--------------|---------------------|---|
| 1. | शान्ति काजरे | झिरियाडोह | झिरियाडोह | शान्ति |
| 2. | बन्धुलाल | झिरियाडोह | झिरियाडोह |  |
| 3. | मुन्ना काजरे | झिरियाडोह | झिरियाडोह | मुन्ना |
| 4. | चुन्नी लाल | झिरियाडोह | झिरियाडोह |  |
| 5. | गौरा | जामनगरी | झिरियाडोह | गौरा |
| 6. | केलाश | झिरियाडोह | झिरियाडोह | केलाश |
| 7. | शान्ती | झिरियाडोह | | ५१२८२ |
| 8. | मुन्नी | झिरियाडोह | | ३२८० |
| 9. | झींगरा | झिरियाडोह | |  |


R.R. SINGH SENGAR
 Executive Engineer
 MPPCB, Bhopal

| | | | | |
|-----|-------------|----------|----------|------|
| 10. | फूलमा | सिरीपडोह | | सुनी |
| 11. | शाहवा | सिरीपडोह | सिरीपडोह | सुनी |
| 12. | देवी सिंह | सिरीपडोह | | सुनी |
| 13. | मंगी वार्ड | सिरीपडोह | | सुनी |
| 14. | गुलबी वार्ड | सिरीपडोह | | सुनी |
| 15. | देवजी | सिरीपडोह | | सुनी |
| 16. | बुधराम | सिरीपडोह | | सुनी |
| 17. | मन्नु सिंह | सिरीपडोह | | सुनी |
| 18. | जिलोकु सिंह | सिरीपडोह | | सुनी |
| 19. | सिरीना | सिरीपडोह | | सुनी |
| 20. | इलजाम सिंह | सिरीपडोह | | सुनी |


R.R. SINGH SENGAR
 Executive Engineer
 Regional Office, MPPCB, Bhopal

| | | | | |
|-----|-------------------|-----------|-----------------------|--|
| 21. | रमेश ठडके | शिरियाडोह | पह सरपंच |  सरपंच कमपंचायत शिरियाडोह |
| 22. | सुनिता मिहरे | शिरियाडोह | आठवाठ कार्यकर्ता | सुनिता मिहरे |
| 23. | शमराज | जामनगरी | | शमलाल |
| 24. | प्रबे सिंह | जामनगरी | | पिरबेसिंग |
| 25. | कामल सिंह पनडोले | जामनगरी | | कमलसिंग पंडोले |
| 26. | क निराम सुदाने | जामनगरी | | <u>क निराम</u> |
| 27. | हरिवराम | जामनगरी | क रि. न. शिरियाडोह | <u>Harivard</u> |
| 28. | इन्द्र लाल बरबानी | जामनगरी | | <u>Indra Lal</u> |
| 29. | जमना मीरड | जामनगरी | | मीरड |
| 30. | पगगी बाई | जामनगरी | | पगगी |
| 31. | रामा बाई | जामनगरी | | रामा बाई |


R.R. SINGH SENGAR
 Executive Engineer
 Regional Office, MPPCB, Bhopal

नाम

पिन

संस्था

विदेश चर्मा

सामगरी

संस्था

33.

रंजना

सामगरी

संस्था

34.

सामगरी

सामगरी

संस्था

35.

रावती

सामगरी

संस्था

36.

राजेश


सामगरी

संस्था

संस्था

कार्यवाही विवरण

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना को भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.10.2012 को टी.ओ.आर. जारी किया गया था। जिसमें परियोजना को पर्यावरण प्रभाव आंकलन कर रिपोर्ट तैयार कराने तथा रिपोर्ट को जन-सामान्य के लिए उपलब्ध कराते हुए ई.आई.ए नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार लोक सुनवाई कराने का निर्देश जारी किये गये थे। उसी सिलसिले में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं परियोजना सारांश की आवश्यक प्रतियाँ प्रस्तुत करते हुए लोक सुनवाई कराने हेतु आवेदन दिया गया था। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन बैतूल के निर्देशन में परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लिए लोक सुनवाई दिनांक 05.11.2015 को आयोजित करना सुनिश्चित किया गया था। लोक सुनवाई की आम सूचना का प्रकाशन क्षेत्र में प्रकाशित 2 दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक भास्कर एवं दैनिक जागरण में दिनांक 25.09.2015 को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराया गया तथा दिनांक 04.11.2015 को परियोजना से प्रभावित होने वाले 02 गांवों क्रमशः झिरियाडोह एवं जामनगरी में मुनादी भी कराई गई। अतः दिनांक 05.11.2015 दिन गुरुवार को परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्राम झिरियाडोह, तहसील चिचौली, जिला बैतूल में क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। लोक सुनवाई की कार्यवाही अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बैतूल श्री पवन जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई तथा लोक सुनवाई कार्यवाही का संचालन बोर्ड के कार्यपालन यंत्री आर.आर. सिंह सेंगर द्वारा किया गया। लोक सुनवाई में डी.एफ.ओ श्री अमित कुमार दुबे, एस. डी.एम. चिचौली श्री संजीव केशव पाण्डेय, सी.ई.ओ. जनपद पंचायत चिचौली श्री के.पी. राजौरिया, तहसीलदार चिचौली श्री लाल शाह एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। प्रोजेक्ट प्रपोनेन्ट एन.व्ही.डी.ए. की ओर से मुख्य अभियंता श्री रज्जन रोहित, अधीक्षण यंत्री श्री बी.डी. बरेलिया, कार्यपालन यंत्री श्री राजेश हरिदास एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री जी.के. खरे उपस्थित हुये। जन प्रतिनिधि के रूप में जनपद पंचायत चिचौली के अध्यक्ष श्री चिरौजी लाल कवड़े, उपाध्यक्ष श्री शंकर लाल चड़ोकर, सदस्य श्री डोमा सिंह कुमड़े, उप सरपंच झिरियाडोह श्री हरि महाराज इत्यादि भी उपस्थित रहे तथा परियोजना स्थल के आस-पास के गाँवों के लगभग 600 व्यक्ति लोक सुनवाई में उपस्थित हुये।




..2..

लोक सुनवाई का प्रारंभ करते हुये बोर्ड के कार्यपालन यंत्री द्वारा लोक सुनवाई की आवश्यकता, प्रक्रिया, सुनवाई कराने हेतु बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी जन समुदाय को दी गई तथा जन सुनवाई में जन-सामान्य की भागीदारी एवं महत्व को रेखांकित करते हुये उन्हें खुलकर अपनी बात कहने एवं अपनी आपत्ति, सुझाव इत्यादि प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। ए.डी.एम बैतूल द्वारा भी लोगों से अपनी बात बिना किसी दबाव के लोक सुनवाई में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। तदुपरांत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं उसके पर्यावरण सलाहकार द्वारा परियोजना एवं उसके पर्यावरणीय प्रभाव, पुनर्वास एवं भू-अर्जन संबंधी पॉलिसी की जानकारी इत्यादि के संबंध में जानकारी उपस्थित जन समुदाय को प्रदाय की गई। तदुपरांत उपस्थित जनप्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा परियोजना के संबंध में अपनी बात रखी गई। लोक सुनवाई में कुल 32 जन आपत्तियों, सुझाव इत्यादि प्राप्त हुये। जो कि इस विवरण के साथ संलग्न है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को प्राप्त सभी आपत्तियों/सुझावों पर जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्रों की प्रतियाँ प्रदाय कर दी गई है। जिसका जवाब प्राप्त होने पर इस विवरण के साथ संलग्न किया जावेगा।

लोक सुनवाई के सम्पूर्ण कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराई गई। लोक सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों, परियोजना प्रबंधन के अधिकारियों एवं जन सामान्य को उपस्थिति पत्रक इस विवरण के साथ संलग्न है। लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय द्वारा परियोजना के संबंध में व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अपनी आपत्ति एवं सुझाव लेखबद्ध कर प्रस्तुत किये गये। अन्त में उपस्थित जन समुदाय को धन्यवाद देते हुये लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया तथा लोगों को यह अवगत कराया गया की लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण के सम्पूर्ण दस्तावेज जनता के अवलोकन हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत सरकार को भेजे जाने के पूर्व ग्राम पंचायत झिरियाडोह एवं कलेक्टर कार्यालय बैतूल में जनता के अवलोकनार्थ रखायें जावेंगे।


अन्त में यह कार्यवाही विवरण भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली को भेजे जाने हेतु निम्न अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।



(आर.आर.सिंह सेंगर)
कार्यपालन यंत्री
क्षे.का. म.प्र.प्र.नि.बो. भोपाल (म.प्र.)



(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल



(पवन कुमार जैन)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
बैतूल (म.प्र.)